बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ०प्र०–2–42/2014 1632 /पटना, दिनांक :– 25-7-23

श्री शिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, लखीसराय कालान्तर में सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध वर्ष–1984–85 में निजी सिंचाई कुप योजना में सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–29/1986 एवं 30/1986 से उद्भूत विशेष केस सं0–74/86 एवं 75/86 में माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी द्वारा दिनांक 21.12.2010 को पारित न्यायादेश में तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दिये जाने के आधार पर इन्हें संविधान के अनुच्छेद 311(2) में निहित प्रावधान के तहत कारण पृच्छा कर ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–4392 दिनांक 31.12.2015 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. श्री सिंह द्वारा उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.-3965/2016 दायर किया गया।

साथ ही श्री सिंह द्वारा प्रासंगिक निगरानी थाना कांड मामले में सजा के विरूद्ध क्रिमिनल अपील भी दायर किया। C.W.J.C. No.-3965/2016 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान ही माननीय न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील (एस0जे0) 53/2011 एवं 71/2011 में दिनांक 21.12.2010 को पारित आदेश को Set aside करते हुए श्री सिंह को निगरानी थाना काण्ड से मुक्त कर दिया गया।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.-3965/2016 शिवनन्दन सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.05.2019 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :–

"...10. *For the reasons indicated herein above, this Court would hold that the petitioner cannot be granted the benefits of back wages or any arrears for the period after his dismissal on account of conviction with effect from 31.12.2015 till his acquittal on 13.02.2019.*

11. *Petitioner has brought the fact of his acquittal to the notice of the authorities on 18.02.2019. In the circumstances, this Court would hold that the petitioner would be entitled to the benefits on account of pension from 18.02.2019 itself. The respondents should expeditiously make available the said benefits to the petitioner having regard to his acquittal in the two criminal cases which form the basis of his dismissal.*

12. *Writ petition is disposed of with the aforesaid directions and observations.*"

4. विभाग द्वारा उक्त न्यायादेश दिनांक 02.05.2019 के विरूद्ध इस आधार पर L.P.A. NO-149/2020 दायर किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये बिना पेंशन देने का आदेश दिया गया जबकि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 46 में सेवा से बर्खास्त सरकारी सेवक को पेंशन दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

5. उक्त न्यायादेश दिनांक 02.05.2019 के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा भी L.P.A. N0-982/2019 दायर किया गया, जिसमें श्री सिंह द्वारा बर्खास्तगी आदेश दिनांक 31.12.2015 को निरस्त करने एवं उक्त तिथि से back wages/arrears एवं पेंशन का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनों L.P.A. No.-982/2019 एवं L.P.A. No.-149/2020 का समेकित रूप से सुनवाई करते हुए दिनांक 17.01.2023 को पारित न्यायादेश द्वारा निष्पादित कर दिया गया है, उक्त न्यायादेश का मुख्य/कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...08. *Dismissal order is based on the conviction and it is not outcome of departmental inquiry. If the conviction order is set aside in a criminal appeal, in that event, the appellant is entitled to regulate the services depending upon the facts of the case. In the present case, inadvertently learned Single Judge has not set aside the order of dismissal dated 31.12.2015. Accordingly, we proceeded to set aside the order of dismissal dated 31.12.2015.*

09. *Appellant-Sheo Nandan Singh is not entitled to monetary benefits from the date of dismissal, i.e, from 31.12.2015 to 31st January, 2017 as he has not discharged the duties of the post. Further, if an employee is convicted and acquitted later the intervening period cannot be regulated as a duty. In other words, tax payer money cannot be paid to an accused. No doubt he has been acquitted in both the criminal proceedings on 02.08.2017 and 13.02.2019. At the same time, during the intervening period from the date of dismissal, i.e, dated 31.12.2015 till 13.02.2019, he was a convicted person.*

10. *In the light of these facts and circumstances, order of the learned Single Judge dated 02.05.2019 passed in CWJC No.-3965 of 2016 stands modified. The appellant-Sheo Nandan Singh is entitled to only monetary benefits from 1st February, 2017 with reference to the date that had he been in service he would have attained the age of superannuation and retired from service on 31st January, 2017. The intervening period from 31.12.2015 to 31.01.2017 be counted for the purpose of fixation of pension only. He is entitled to arrears of pension from 1st*

February, 2017 till date the same shall be calculated and disbursed in favour of him within a period of the three months from the date of receipt of this order.

11. *Accordingly, Letters Patent Appeal No. 982 of 2019 filed on behalf of Appellant-Sheo Nandan Singh stands allowed and Letters Patent Appeal No. 149 of 2020 filed on behalf the State of Bihar stands rejected."*

7. श्री सिंह द्वारा CWJC No-3965/2016 में पारित न्यायादेश दिनांक 02.05.2019 के अनुपालन हेतु MJC No-1552/2021 दायर किया गया है जिसमें विभाग द्वारा इस आशय का कारण पृच्छा दायर किया गया कि न्यायादेश दिनांक 02.05.2019 के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No-149/2020 दायर किया गया है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि LPA No-149/2020 का निष्पादन माननीय न्यायालय द्वारा करते हुए अपील को अस्वीकार कर दिया गया है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में LPA में पारित प्रश्नगत न्यायादेश दिनांक 17.01.2023 के विरूद्ध अपील दायर करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है, अतएव L.P.A.-982/2019 में पारित न्यायादेश दिनांक 17.01.2023 का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी हो गया है।

9. उक्त के आलोक में L.P.A.-982/2019 में पारित न्यायादेश दिनांक 17.01.2023 के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष मामले को रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गयी।

10. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बैठक की कार्यवाही दिनांक 26.06.2023 में निम्न अनुशंसा की गयी है:–

(i) विभागीय अधिसूचना सं0–4391 सह–पठित दिनांक 31.12.2015 द्वारा श्री शिवनन्दन सिंह के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी दण्डादेश को निरस्त करते हुए परिणामी लाभ प्रदान की जाय।

(ii) दिनांक 31.12.2015 (बर्खास्तगी की तिथि) से दिनांक 31.01.2017 (सेवानिवृति की तिथि) की अवधि में श्री सिंह द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण "No Work No Pay" के आधार पर कोई वेतन आदि का लाभ देय नहीं होगा किन्तु उक्त अवधि पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि के वैचारिक रूप से सेवा में गणना की जायेगी।

(iii) श्री सिंह की सेवा से बर्खास्तगी की तिथि 31.12.2015 से उनकी वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि 31.01.2017 तक की अवधि को उनके पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए दिनांक 01.02.2017 से श्री सिंह को पेंशन का भुगतान की जाय।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 में निहित प्रावधान के तहत प्रश्नगत मामले में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

12. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

"श्री शिवनंदन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–4392 दिनांक 31.12.2015 द्वारा निर्गत सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दंडादेश को निरस्त किया जाता है। श्री सिंह को दिनांक 31.12.2015 से 31.01.2017 (सेवानिवृति की तिथि) तक की अवधि हेतु No Work No Pay के आधार पर वेतनादि का लाभ देय नहीं होगा, किन्तु उक्त अवधि पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए श्री सिंह को दिनांक 01.02.2017 से पेंशन का भुगतान अनुमान्य होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/7/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–42/2014 1633 /पटना, दिनांक :– 25-7-23

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

19/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–42/2014 1633 /पटना, दिनांक :– 25-7-23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वी२चंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, बांका/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०—2—42/2014 1633 /पटना, दिनांक :— 25-7-23

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/विधि विभाग/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका—2/प्रशाखा पदाधिकारी—5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री शिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका—2, पत्राचार का पताः—बाबूटोला, अमरपुर रोड, ब्लॉक गेट, जिला—बांका, पिनकोड—813102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०—2—42/2014 1633 /पटना, दिनांक :— 25-7-23

प्रतिलिपि :—माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/7/2023

विशेष सचिव